कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय आदेश अन्तर्गत धारा-15 उपधारा-2 द0प्र0सं0

आदेश संख्या- 59 दिनांक-03.12.2020

मैं राहुल कुमार श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द0प्र0सं0 1973 की धारा 15(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माननीय जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल से विचार-विमर्श के उपरान्त एवं उनके निर्देश के तहत जिला टिहरी गढ़वाल में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य वितरण के सम्बन्ध में पूर्व में पारित किये गये आदेशों को अधिक्रमित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दाण्डिक कार्यो का वितरण निम्नवत रूप से करता हूँ -

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।

(i) पुलिस थाना, नई टिहरी, चम्बा, घनसाली, कैम्पटी, थत्यूड़ क्षैत्र के मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय सभी पुलिस रिपोर्ट, आवेदन (घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम के अतिरिक्त) तथा परिवाद (धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 के तहत थाना घनसाली, थत्यूड़, कैम्पटी के मामलों के अतिरिक्त) वारण्ट तथा समन मामले।

(ii) राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील नरेन्द्रनगर, गजा, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, प्रतापनगर के अतिरिक्त समस्त तहसील क्षेत्र के तहत मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों जो पुलिस रिपोर्ट और परिवाद पर संस्थित होते हों, वारण्ट व समन मामले।

(iii) जिले के समस्त सिविल तथा राजस्व पुलिस थानों के क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट तथा परिवाद पर संस्थित मामले जो अनन्यतः माननीय सेशन्स न्यायाधीश द्वारा जाँच व विचारणीय हों, जिनको माननीय सेशन्स न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया जाना हो।

(iv) जिले के समस्त सिविल तथा राजस्व पुलिस थानों के क्षेत्र के अन्तर्गत धारा-409 व लोकसेवकों के विरुद्ध दर्ज मामले।

(v) जिले के समस्त क्षेत्र के तहत घटना स्थल, जिनके सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, श्रम विभाग व वन विभाग (वन अधिनियम व वन्य जीव जन्तु संरक्षण अधिनियम, इसी प्रकार के समस्त विशेष अधिनियम), खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले जिनका परिवाद प्रस्तुत किया जाता है।

(vi) जिले के समस्त सिविल तथा राजस्व पुलिस थानों के क्षेत्र के अन्तर्गत दर्ज मामले, जिनमें मानव तस्करी, देह व्यापार, विदेशी नागरिकों द्वारा विधियों का उल्लंघन किया गया हो, मामले।

(vii) जिले के समस्त सिविल तथा राजस्व पुलिस थानों के क्षेत्र के अन्तर्गत दर्ज मामले ऐसे आर्थिक अपराध व विशेष अधिनियम, के अधीन संस्थित मामले जिनमें मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

(viii) थाना मुनिकीरेती, देवप्रयाग, नरेन्द्र नगर, कीर्तिनगर, हिण्डोलाखाल तथा तहसील नरेन्द्र नगर, गजा, प्रताप नगर, कीर्ति नगर, देवप्रयाग के क्षेत्र के अन्तर्गत घटित आबकारी विभाग के मामलों को छोड़कर शेष समस्त थाना व तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत आबकारी विभाग से सम्बन्धित, परिवाद पर संस्थित मामले।

(ix) जिले के समस्त सिविल तथा राजस्व पुलिस थानों के क्षेत्र के अन्तर्गत घटित कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत संस्थित सन्दर्भ याचिका।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।

ऐसे वारण्ट व समन मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवाद पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जाँच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किया जाये।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।

(i) थाना नई टिहरी, चम्बा, घनसाली क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा थाना घनसाली के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1981 के आवेदनों पर तथा परिवाद पर संस्थित मामले।

(ii) ऐसे वारण्ट व समन मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवाद पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जाँच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किया जाये।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

(i) थाना कैम्पटी व थत्यूड़ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा थाना थत्यूड़ व कैम्पटी के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1981 के आवेदनों पर तथा परिवाद पर संस्थित मामले।

(ii) ऐसे वारण्ट व समन मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवाद पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जाँच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किया जाये।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल।

(i) थाना मुनिकीरेती व नरेन्द्र नगर तथा राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील नरेन्द्र नगर व

Sd

गजा क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय सभी आवेदन तथा परिवाद एवं पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट एवं समन मामले (ऐसे मामलों व परिवाद को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल को है)।

(ii) ऐसे वारण्ट व समन मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवाद पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जाँच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किया जाये।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।

(i) थाना कीर्तिनगर, देवप्रयाग, हिण्डोलाखाल तथा राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील कीर्तिनगर व देवप्रयाग क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय सभी आवेदन तथा परिवाद एवं पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट एवं समन मामले (ऐसे मामलों व परिवाद को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल को है)।

(ii) ऐसे वारण्ट व समन मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवाद पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जाँच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किया जाये।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल।

(i) थाना लम्बगांव तथा राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील प्रतापनगर क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय सभी आवेदन तथा परिवाद एवं पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट एवं समन मामले (ऐसे मामलों व परिवाद को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल को है)।

(ii) ऐसे वारण्ट व समन मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवाद पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जाँच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किया जाये।

सभी मजिस्ट्रेट न्यायालय जिन मामलों में प्रसंज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा उसी के तहत धारा-156(3) द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र सुन सकेंगे तथा निस्तारण कर सकेंगे।

उपरोक्त कार्य व्यवस्था दिनांक 07.12.2020 से प्रभावी होगी।

Sd/

(राहुल कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टिहरी गढवाल।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तराखण्ड टिहरी गढ़वाल

पत्रांक- 59 /2020, दिनांक - 03 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित के समक्ष सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत-

1. माननीय जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल।
2. जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल।
4. निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही व अनुपालनार्थ प्रेषित-

(i) सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।

(ii) अपर सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।

(iii) सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

(iv) सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल।

(v) सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।

(vi) सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल।

(vii) वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(viii) प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी, टिहरी, नरेन्द्र नगर, मसूरी(कैम्पटी व धनोल्टी क्षेत्र)

(ix) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(x) जिला खाद्य सुरक्षा अभिहीत अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(xi) जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(xii) जिला श्रम अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(xiii) जिला के समस्त राजस्व पुलिस क्षेत्रों के लिए तहसीलदार।

(xiv) जिला के समस्त सिविल पुलिस के थाने के भारसाधक अधिकारी।

(xv) जिला न्यायालय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए कम्प्यूटर अनुभाग में सिस्टम अस्सिटेंट।

(xvi) गार्ड फाईल।

Rahul Kumar Srivastava 3/12/2020

(राहुल कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टिहरी गढवाल।

उत्तराखण्ड